

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत संस्था)
द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - ४६२०११

क्र. / / MIS/एनआर-10 / NREGS-MP / 2010

भोपाल, दिनांक 28/01/2010

725
प्रति,

1. जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला पंचायत (समस्त)

विषय:- वीडियो कांफ्रेंसिंग दिनांक 29 जनवरी 2010 के संबंध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक/517/एम.आई.एस./एन.आर. 10 दिनांक 20/01/2010

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 29 जनवरी 2010 को प्रातः 10:30 से 1:30 तक वीडियो कांफ्रेंसिंग आयोजित की जा रही है। जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास करेंगे। वीडियो कांफ्रेंसिंग में चर्चा हेतु एजेण्डा बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1. सूखा प्रभावित जिलों में श्रमिकों को 50 अतिरिक्त दिवस का रोजगार सृजन करना।
2. वर्ष 2013 तक ग्रामीण सड़क (बारामासी सड़क) निर्माण कार्यक्रम पर चर्चा।
3. इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्लान (समग्र ग्राम विकास योजना)।
4. केन्द्र सरकार से प्राप्त बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत बिन्दुओं पर चर्चा।

निर्देश अनुसार अनुरोध है कि वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, आर.ई.एस., सहायक यंत्री, एनआरईजीएस, आरईएस/बी.आर.जी.एफ., मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अनिवार्य रूप से उपरोक्त एजेण्डा बिन्दुओं पर जारी निर्देशों का अध्ययन कर वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.रा.रो.गा.परिषद, भोपाल

726

पृ.क्र. / / MIS/एनआर-10 / NREGS-MP / 2010

भोपाल, दिनांक 28/01/2010

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ।

5. संचालक, बी.आर.जी.एफ., विंध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यंत्रिकी सेवा, ग्रामीण विकास विभाग, विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)/मुख्य अभियंता/संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)/मीडिया अधिकारी/ सिस्टम एनालिस्ट, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. श्री मयंक नागर, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, एनआईसी-विंध्याचल भवन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया वीडियो कांफ्रेंसिंग विंध्याचल भवन से संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
9. उपायुक्त विकास की ओर लेख है कि संबंधित जिलों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करें।

५/८
(रश्मि अरुण शर्मा)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
म.प्र.रा.रो.गा.परिषद्, भोपाल